भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1353

जिसका उत्तर 27.07.2023 को दिया जाना है

राजमार्गों का उन्नयन

1353. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित देश की प्रमुख सड़कों को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करके उन्हें चार लेन का बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है विशेषकर धराशीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 63 (लातुर-येदशी-बार्शी) को चार लेन का बनाने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन करने के लिए महाराष्ट्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर समय-समय पर महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्तावों सहित अन्य राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गो के रूप में घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. देश की एक छोर से दूसरे छोर तक गुजरने वाली सड़कें।
2. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्य की राजधानियों से जोड़ना/राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों को परस्पर जोड़ने वाली सड़के।
3. पहाड़ी एवं पृथक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकता वाली सड़कें।
4. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी को कम करने और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।
5. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बड़े भू-भाग को खोलने में मदद करती हैं।
6. 100 किमी की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।

7. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ अनुरूप सड़कें।

मंत्रालय को राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित अन्य राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के रूप में घोषणा/उन्नयन के लिए राजस्थान राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मानदंडों की पूर्ति, संपर्कता की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

ऐसे अधिसूचित एनएच पर विकास और रखरखाव कार्य, जिसमें उनकी क्षमता को चार/छह लेन वाले एनएच मानकों तक बढ़ाना शामिल है, यातायात घनत्व, सड़कों की स्थिति, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-63 (लातूर-येदशी-बार्शी) को पेव्ड शोल्डर (2एल+पीएस)/फोर लेन (4एल) मानकों सहित दो लेन में स्तरोन्नत करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) कार्य सौंपा गया है।

*****